राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

अनूपम जैन बनाम् श्री आलोक के.मिश्रा व अन्य.
(एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या-474/2012)
अन्तर्गत
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-18480/2011)
.....

30.4.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री गौरव शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी इस अवमानना याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ वापिस लेना चाहते हैं कि यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो प्रार्थी पुन: इस न्यायालय में अवमानना याचिका संस्थित कर सकेगा।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना उचित प्रतीत होती है।

परिणामत: यह अवमानना याचिका वापिस लिए जाने के आधार पर निरस्त की जाती है किन्तु प्रार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि भविष्य में आवश्यकता हो तो पुन: इस न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका संस्थित कर सकेगा।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P.S.